

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० गवालियर के न्यायालय में

सिद्दीक पिता शरीफ अहमद
निवासी— अंकुर नगर, नागचून रोड खण्डवा

R 734-PB21/1

— प्रार्थी

(124)

विरुद्ध

1— अलताफ बेग पिता मजीद बेग

2— शेरा बी बेवा मजीद बेग

निवासी— 283, मुंदीपूरा ब्राम्हणपूरी वार्ड खण्डवा

3— रईसा बी पुत्री मजीद बेग पति सफात अली

निवासी— मुंदीपूरा ब्राम्हणपूरी वार्ड खण्डवा

4— नफीसाबाई पुत्री मजीद बेग पति जहीर बेग

निवासी— मोघट रोड, पुलिस थाने के पीछे शकर तालाब खण्डवा

5— आसिफा पुत्री मजीद बेग पति जहीर बेग

निवासी— धोबी मोहल्ला खण्डवा

6— श्रीमती संजिदा बी पिता मजीद बेग पति अहसान अली

निवासी— मार्फत सैय्यद अनवर पंधाना तहसील पंधाना जिला खण्डवा

7— फरजाना बी पुत्री मजीद बेग पति अबरार बेग

निवासी— जमादार गली, जामा मर्जिद के पास सनावद

8— सईद बेग पिता कालू बेग

9— हफीज बेग पिता कालू बेग

निवासी— अंकुर नगर, नागचून रोड खण्डवा

79
13-02-2017

श्री पृष्ठ. भृ. पाठ्क
प्रार्थी/उपर्युक्त दावा के लिए
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू—राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान संयुक्त कलेक्टर महोदय खण्डवा के राजस्व नस्ती क्र. 19 मं पारित आदेश दिनांक 24/12/2013 से अंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत की जा रही है :—

प्रकरण के तथ्य :—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :—

1— प्रतिप्रार्थीगण के पूर्वहितधारी मजीद बेग पिता इब्राहिम बेग के द्वारा सर्वे क्र. 263, 264 के सीमांकन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार के द्वारा अधीक्षक भू—अभिलेख से सीमांकन प्रतिवेदन आहुत किया गया। प्रकरण क्र. 68/अ-12/05-06 स्थापित किया जाकर उसमें दिनांक 03/01/2008 को सीमांकन की कार्यवाही की गई तथा प्रतिवेदन दिनांक 29/02/2008 को तैयार किया गया। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 01/03/2008 को प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने तथा कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रकरण को समाप्त कर दाखिल रेकार्ड किया गया।

2— उक्त सीमांकन की कार्यवाही के विरुद्ध प्रतिप्रार्थीगण के पूर्वहितधारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही समय सीमा में सीमांकन को चुनौती वरिष्ठ न्यायालय में की गई।

3— सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने के करीब 2 वर्ष के उपरांत दिनांक 19/03/2010 को मजीद बेग तथा कालू बेग पिता इब्राहिम बेग के द्वारा प्रकरण क्र. 68/अ-12/05-06 में एक आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र.भू—राजस्व

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवन्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 734-पीबीआर/2017 जिला खण्डवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों एवं आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>  	